न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
उदा बनाम नारायण
GCMS No- 2020/00193
प्रकरण संख्या 47 / 2020

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 47 / 2020
जीसीएमएस न0 2020 / 00193

1. उदा पिता उंकारजी भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. मोहनीबाई पुत्री उंकारजी भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. लेहरीबाई पुत्री उंकारजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
4. मांगीबाई पुत्री उकारजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पिता बावरु जी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. दुर्गा बाई पुत्री बावरु जी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. नारायण पिता श्रवणजी जाति भील निवासी अरनिया माली तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ
4. मिश्रीलाल पिता श्रवणजी जाति भील निवासी अरनिया माली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
5. शेखर पिता श्रवणजी जाति भील निवासी अरनिया माली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
6. रामकन्या पुत्री श्रवणजी जाति भील निवासी अरनिया माली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
7. सुन्दरबाई पुत्री श्रवणजी जाति भील निवासी अरनिया माली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
8. प्रेमबाई पुत्री श्रवणजी जाति भील निवासी अरनिया माली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
9. डालीबाई बेवा श्रवणजी जाति भील निवासी अरनिया माली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
10. राजमल पिता शंकरलालजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
11. फतहलाल पिता शंकरलालजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
12. कल्लीबाई पुत्री शंकरलालजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
13. देउबाई पुत्री शंकरलालजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
14. गुड्डीबाई पुत्री शंकरलालजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
15. भंवरीबाई पुत्री शंकरलालजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

16. शारदाबाई पुत्री शंकरलालजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
17. नारायणी बाई बेवा शंकरलालजी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
18. मांगीलाल पिता डाडम जी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
19. बगदीराम पिता उदा जी जाति भील निवासी बरडा बोरखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
20. डालचंद पिता उदाजी जाति भील निवासी बरडा बोरखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
21. चन्दर पिता उदाजी जाति भील निवासी बरडा बोरखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
22. भेरुलाल पिता कालुजी जाति भील निवासी बरडा बोरखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
23. धनराज पिता कालु जी जाति भील निवासी बरडा बोरखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
24. सुगना बाई बेवा कालु जी जाति भील निवासी बरडा बोरखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
25. बगदीराम पिता प्यारा जी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
26. गोपाल पिता प्यारा जी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
27. काशीराम पिता प्यारा जी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
28. भुरा पिता प्यारा जी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
29. कमली पुत्री प्यारा जी जाति भील निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़
30. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निम्बाहेडा।

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—	1—	श्री नरेन्द्र वैष्णव —	अधिवक्ता प्रार्थीगण
	2—	पेरोकार सरकार —	स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 06.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा बरडा प०ह० बरडा तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 130 के आराजी नं0 68 रकबा [illegible] हेक्टेयर भूमि जिसके पूराने आराजी नं0 25 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा एवं आराजी नं0 542/193 रकबा 0.2100 हेक्टेयर जिसके पुराने आराजी नं0 72 रकबा 4 [illegible] 4 बिस्वा स्थित हैं, साक्ष्य में नकल जमाबंदीयां पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:31 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात जिसके पूराने आराजी नं0 25 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा प्रार्थीगण की माता धापुबाई पत्नि उंकारजी भील निवासी गादोला द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 11/04/2005 से प्यारा, उदा पिता रतना जी भील निवासी गादोला से कुल 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

था, तथा इसी प्रकार आराजी नं0 25 में से बाबरु, श्रवण का सम्पूर्ण 1/5 हक हिस्सा व आराजी नं0 72 मे से बाबरु का 1/20 व श्रवण का 1/10 हक हिस्सा कुल 30 बिस्वा यानि 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24/06/2005 से कय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका विधिवत रुप से जमाबंदी संवत् 2058-2061 में खाता नं0 102 पर धापूबाई के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चला आ रहा था, परन्तु राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण की माता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने से रह गया जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से हुआ है इसलिए प्रार्थीगण नवीन राजस्व रेकार्ड में, पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब मय अनुशंषा रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैः-
प्रार्थिया धापूबाई पत्नि ऊंकार लाल के मृत्यु होने से उदा,मोहनी बाई लेहरीबाई, मॉंगी बाई पिता उंकार भील द्वारा ने धारा 136 में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि "मुझ प्रार्थिया की माता द्वारा ग्राम बरड़ा में साबिक आराली न० 25 रकबा 4 बिघा 9 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 72 रकबा 4 बिघा 4 बिस्वा में प्यारा उदा पिता रतना एवं बाबरू श्रवण का हिस्सा जरिये रजिस्ट्री द्वारा क्रय किया गया। जिसका जमाबंदी सम्वत् 2058-2061 के खाता नं0 102 पर विक्रय से इन्तकाल न० 264 धापुबाई पत्नि ऊंकारलाल का 1/5 हिस्सा तथा आराजी नम्बर 25 में रकबा 4 बिघा 9 बिस्वा में धापूबाई पत्नि ऊंकार भोल के गाम 4/5 हिस्सा दाखिल लगा हुआ है।इसके उपरान्त सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नवीन रिकार्ड तैयारी में मिलान क्षेत्रफल साबिक नम्बर 25 रकबा 4 बिघा 9 बिस्वा का हाल नम्बर 68 रकबा 1.12 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 72 रकबा 4 बिद्या 4 बिस्वा के हाल नम्बर 193 रकबा 1.06 हैक्टेयर बनाया जाकर मूल खतेदार बाबरू श्रवण पिता हेमा 1/5 शंकरलाल, मांगीलाल पिता डाडम चम्पाबाई पत्नि डाडम 1/5 प्यारा,उदा,वरदा पिता रतना 3/5 भील सा० गादोला के नाम जमाबंदी 2067-70 के खाता न० 127 पर उक्त खातेदारों के नाम दर्ज की गई थी।तत्तपश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा खाता विभाजन कर बाबरू गोदी पुत्र वरदा के नाम आ0न० 193 रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2077-80 के खाता 293 खसरा न० 193 रकबा 0.42 हैक्टेयर में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2077-80 के खाता संख्या 293 खसरा नम्बर 193 रकबा 0.42 हैक्टेयर श्री नारायण पिता बाबरू जाति भील सा. गादोला एवं शेष रखबा में खसरा नम्बर 541/193 रकबा 0.43 हे० में काशीराम, गोपाल बगदीराम,भुरा, कमली पिता प्यारा भील सा0 गादोला एवं खसरा नम्बर. 542/193 रकबा 0.21 हैक्टेयर धापूबाई पत्नि ऊंकार जाति भील सा0 गादोला के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा आराजी नम्बर 68 रकबा 1.12 हैक्टेयर में उदा पिता रतना 1/5 भील, बगदीराम, भुरा, काशीराम, गोपाल, कमली पिता प्यारा भील, मांगीलाल शंकरलाल पिता डाडम चम्पाबाई पत्नि डाड़म 1/5 भील नारायण पिता बाबरू 1/10 भील शेयर मिश्रीलाल, सुन्दरबाई, [illegible]बाई, नारायणलाल, कन्या बाई पिता श्रवण डालीबाई पत्नि श्रवण 1/10 भील बरदा पिता रतना 1/5 भील संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीयान की माता द्वारा साबिक आराजी न0 25 हाल आराजी न० 68 में भूमि क्रय की गई जिसका दाखिला 2058-61 खाता नम्बर 102

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:31 IST
Reason: SelfAttested

पर दर्ज था। साविक आराजी नम्बर 25 रकबा 4 बिघा 9 बिस्वा के हाल न० 68 रकबा 1.12 हैक्टेयर में पूर्व खातेदार अनुसार दर्ज रिकार्ड है।

क्र.स.	आराजी नम्बर	वर्तमान प्रविष्ठि नाम खातेदार	नाम खातेदार
1	68 रकबा 1.12 हैक्टेयर	1. श्री उदा पिता रतना 1/5 भील, 2. बगदीराम भुरा काशीराम, गोपाल, कमली पिता प्यारा 1/5 भील 3. नारायण पिता बाबरू 1/10 भील रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा निम्बाहेडा, 4. शेखर मिश्रीलाल नारायणलाल सुन्दरबाई,प्रेमबाई, कन्या बाई पिता श्रवण डालीबाई पत्नि श्रवण 1/10 भील चम्पाबाई पत्नि डाडम 1/15 मांगीलाल शंकरलाल पिता डाडम 2/15 बरदा पिता रतना 1/5 भील सा0 गादोला	1. श्री उदा मोहनीबाई लेहरीबाई मांगीबाई पिता ऊंकार 548/1120 भील सा0 गादोला 2. कमली,बगदीराम, काशीराम भुरा गोपाल पिता प्यारा 62/560 चम्पाबाई पत्नि डाडम 1/15 मांगीलाल शंकरलाल पिता डाडम 2/15 ,बरदा पिता रतना 1/5 भील सा0 गादोला

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रारंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:31 IST
Reason: SelfAttested

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)

दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

4. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम बरडा पटवार हल्का बरडा के आराजी नं0 25 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा प्रार्थीगण की माता धापुबाई पत्नि उंकारजी भील निवासी गादोला द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 11/04/2005 से प्यारा, उदा पिता रतना जी भील निवासी गादोला से कुल 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रयकर कब्जा प्राप्त किया था, तथा इसी प्रकार आराजी नं0 25 में से बाबरु, श्रवण का सम्पूर्ण 1/5 हक हिस्सा व आराजी नं0 72 मे से बाबरु का 1/20 व श्रवण का 1/10 हक हिस्सा कुल 30 बिस्वा यानि 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 24/06/2005 से धापू बाई द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका विधिवत रुप से जमाबंदी संवत् 2058–2061 में खाता नं0 102 पर धापूबाई के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चला आ रहा था, परन्तु लिपिकीय त्रुटि की वजह से सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण की माता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने से रह गया जो पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार धापू की मृत्यु होने से उनके वैध उत्तराधिकारी प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती तहसीलदार निम्बाहेडा की मौका रिपोर्ट मय अनुशंषा के आधार पर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बरडा पटवार हल्का बरडा की की आराजी नं0 68 रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि में श्री उदा, मोहनीबाई, लेहरीबाई ,मांगीबाई पिता ऊंकार 548/1120 भील सा0 गादोला, कमली,बगदीराम,काशीराम,भुरा,गोपाल पिता प्यारा 62/560 चम्पाबाई पत्नि डाडम 1/15, मांगीलाल, शंकरलाल पिता डाडम 2/15 ,बरदा पिता रतना 1/5 भील सा0 गादोला के नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रस्तावित हिस्सा अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहेगा । निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:31 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेड़ा